मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 64 | **मार्च, 2019** | **अंक 3** | **कुल पृष्ठ 8**

सभापति का पत्र :

अब से लगभग सौ दिन से भी कम समय में, देश अपने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भाग्य का निर्माण करेगा और सरकार मतदान से पहले अपने अंतिम बजट भाषण में यह आशा करती है किसान आपके चार वर्ष पहले के दिए गए नारों और वायदों, जो पूरे नहीं किए गए, को भूल जाएंगे।

वर्ष 2016 की किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा से लेकर अब तक वास्तव में किसानों को की आय में कमी आई है। आंकडे इसकी पुष्टि करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि विद्यमान मूल्य पर कृषि के लिए उस सकल मूल्य को जोड़ा गया हो जो स्थायी मूल्यों से भी अधिक हो। कृषि जिंसों के मूल्य मुद्रास्फिती की दर 3–4 प्रतिशत से नीचे ही रहे। संभवतः ऐसा तीसरी बार हुआ है जब से देश आजाद हुआ है।

बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की घोषणा के अंतर्गत एक उपाय किया गया है कि जिन किसानों के पास पांच एकड़ तक भूमि है, उनके खाते में प्रति किसान रू. 6,000/– वार्षिक, कुल राशि लगभग रू. 75,000/– करोड़ सालाना, ट्रांस्फर किए जाएंगे जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

यह खेद का विषय है कि इसके अंतर्गत किराये पर खेती करने वाले किसानों और भूमिहीन किसानों को शामिल नहीं किया गया। यह एक चुनौती होगी कि प्रत्येक लाभ लेने वाले अथवा जिन्हें शामिल नहीं किया गया है, उनकी पहचान हो सके।

वास्तव में सभी योजनाएं अधिकतम को लाभ से वंचित रखने की होती है, जिनमें अधिकतम ध्यान इस बात पद दिया जाता है कि वंचित रखने के लिए दिशा–निर्देशों को इस प्रकार से तैयार किया जाए कि अधिकतम जरूरतमंद लोग वंचित रह जाऐं जैसा कि पूरे भारत में राज्य कृषि ऋण माफ करने के विषय में हो रहा है।

फसल ऋण के ब्याज पर दोगुणी आर्थिक सहायता, पशुपालन और मछलीपालन के लिए 2–3 प्रतिशत की सहायता तथा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को दोबारा दिए गए निर्धारित

ऋण का उनके द्वारा समय पर भुगतान करने पर 2–3 प्रतिशत की छूट देने जैसे उठाए गए कदमों का स्वागत है, किन्तु आशा यह है की जा रही थी कि किसानों के आवधिक ऋणों के ब्याज पर भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

पशुपालन और मछलीपालन को भी कृषि आय की श्रेणी में लाकर इन उद्योगों को भी आयकर का लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन इन उपायों और क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया। पिछले कुछ वर्षों में किसानों को जो हानि हुई है वह इतनी अधिक है कि वर्ष 2019 के बजट में की गई घोषणाओं और बेहतर योजनाओं की शुरूआत से उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है।

गायों के लिए गोकुल मिशन और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के माध्यम से निधियां देना अच्छा है लेकिन वास्तविकता यह है कि किसान खेतों में अपनी फसलों को आवारा पशुओं से बचाने में व्यस्त हैं, परेशान हैं और वे अधिक प्रसन्न होते, यदि उन्हें खेतों के बाड़े आदि बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती।

सबसे बड़े प्रश्न हैं कि क्या यह बजट रोजगार उपलब्ध कराएगा, क्या यह फल एवं सब्जियों का प्रसंसाधन बढ़ाएगा, क्या यह जीवनस्तर में सुधार करेगा, मेरा मानना है नहीं। यह बजट ऐसा है जैसे कि आवश्यकता तो ऑपरेशन करने की हो लेकिन केवल पट्टी (बैंड–एड़) बांध दी जाए।

– अजय वीर जाखड़
अध्यक्ष, भारत कृषक समाज
@ajayvirjakhar

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

मोदी राज में किसान : डबल आमद या डबल आफत ?

* श्री योगेन्द्र यादव

शेष भाग

पहले चार साल तक केंद्र सरकार ने एमएसपी में सालाना वृद्धि करते समय अपनी मुट्ठी कस के बंद रखी। सी–2 लागत पर डेढ़ गुना एमएसपी देना तो दूर, मोदी सरकार ने कई फसलों परी सी–2 लागत के बराबर भी एमएसपी घोषित नहीं किया। ज्वार, रागी, तिल, सूरजमुखी, मूंग जैसी सात फसलों की सरकार द्वारा अनुमानित सी–2 लागत अधिक थी और सरकार द्वारा घोषित एमएसपी कम। यानी सरकार जान–बूझ कर किसान को घाटे की खेती के लिए मजबूर कर रही थी।

किसानों की वाजिब एमएसपी की मांग को यूपीए सरकार द्वारा दबाए रखने के सिलसिले को पलटना तो दूर, मोदी सरकार ने फसलों का दाम इतना भी नहीं बढ़ाया, जितना पिछली सरकार

के जमाने में बढ़ाया गया था। यूपीए के राज में 2009 से 2014 तक धान की फसल में किसान को सी–2 लागत पर 23 प्रतिशत बचत थी, जबकि मोदी सरकार के पहले चार साल में सिर्फ छह प्रतिशत। कपास में पिछले राज में 30 प्रतिशत बचत थी, मोदी सरकार में 2 प्रतिशत, गेहूं में पहले 36 प्रतिशत तो अब 32 प्रतिशत और सरसों में पहले 36 प्रतिशत तो अब 29 प्रतिशत बचत थी। तुअर (अरहर) दाल और मसूर दाल को छोड़कर हर फसल में मोदी सरकार के तहत पहले चार साल में किसान को पिछली सरकार की तुलना में भी कम एमएसपी की बढ़ोत्तरी मिली।

किसी भी एक फसल में किसी भी एक साल में केंद्र सरकार ने संपूर्ण लागत (सी–2) पर डेढ़ गुना एमएसपी नहीं दी। अगर आंशिक लागत (ए–2+एफएल) के आधार पर देखें तो मोदी सरकार ने सिर्फ छह फसलों (अरहर/तुअर, गेहूं, जौ, चना, मसूर और सरसों) में इस आंशिक लागत का डेढ़ गुना एमएसपी दिया। यूपीए के राज में कुल 11 फसलों, यानी इन छह के अलावा पांच और फसलों (धान, बाजरा, उड़द, सोयाबीन, कपास) पर भी आंशिक लागत पर 50 फीसदी से ज्यादा एमएसपी दिया गया था। कुल मिलाकर पहले चार साल में मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से बेहतर दाम देने के बजाय उससे भी कमतर दाम किसानों को दिए।

जाहिर है, देश–भर के किसान बेहद नाराज थे। खुद बीजेपी और संघ परिवार के किसान संगठनों को भी शर्म के मारे सरकार की आलोचना करनी पड़ी। ऐसे में सरकार ने एक और पैंतरा खेला। 19 जुलाई 2017 को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने लोकसभा में हुई बहस में यह दावा किया कि बीजेपी ने लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कभी वादा ही नहीं किया था!

उन्होंने बाल की खाल उधेड़ते हुए कहा कि बीजेपी के घोषणापत्र में लागत का डेढ़ गुना दाम देने की बात थी, लेकिन घोषणापत्र में कहीं भी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं था। किसान संगठनों ने इस झूठ का पर्दाफाश करते हुए श्री नरेंद्र मोदी के वे विडियो जारी कर दिए, जिनमें 2014 की चुनावी सभाओं में वे किसानों को लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देने का वादा कर रहे थे।

किसान संगठन एमएसपी का सवाल बार–बार उठा रहे थे और यह मोदी सरकार के लिए भारी होता जा रहा था। गुजरात के चुनाव में हारते–हारते बचने के बाद मोदी सरकार को समझ आ गया कि लागत का डेढ़ गुना दाम देने के अपने वादे पर आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा।

2.4 वादा निभाने की जगह लागत की परिभाषा पलट दी

इस राजनैतिक संकट से बचने के लिए मोदी सरकार ने एक नई चाल चली। इस सरकार का अंतिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अरूण जेटली ने 1 फरवरी, 2018 को यह घोषणा की : 'हमारे दल के घोषणापत्र में यह संकल्प है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसान भाइयों

को उनके उत्पादन की लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक अर्थात लागत से डेढ़ गुना दाम मिले। .....मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि तय किए हुए सिद्धांत के अनुसार, सरकार ने आगामी खरीफ से सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन–लागत से कम से कम डेढ़ गुना करने का फैसला किया है।' साथ ही यह घोषणा भी की गई कि नीति आयोग फसल–खरीद की नई व्यवस्था सुझाएगा।

इस घोषणा का जमकर प्रचार हुआ। शाम होते–होते टीवी पर ऐसा माहौल बना दिया गया मानों किसानों ने जो कुछ मांगा था, उन्हें मिल गया है। बजट–घोषणा के पांच महीने बाद जब 4 जुलाई 2018 को सरकार ने खरीफ की फसलों का एमएसपी घोषित किया, तो एक बार यही प्रचार हुआ।

पहले चार साल तक अपने चुनावी वादे पर आंख मूंदने और उससे साफ मुकर जाने वाली मोदी सरकार ने अब कहना शुरू किया कि उसने अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया है और किसानों की फसलों के दामों में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। इसी घोषणा का तीसरी बार प्रचार सितंबर माह में हुआ, जब सरकारी खरीद की योजना आई। बीजेपी के कुछ बड़बोले नेता तो यहां तक कहने लगे कि जो काम चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल नहीं कर सके, वह काम मोदी जी ने कर दिखाया है।

सच्चाई इस दावे से बिलकुल विपरीत थी। दरअसल, बजट में घोषणा करते समय श्री अरूण जेटली ने चालाकी से लागत की परिभाषा ही बदल दी थी। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, स्वामीनाथन आयोग, किसान आंदोलन और खुद बीजेपी के किसान संगठन संपूर्ण लागत यानी सी–2 पर डेढ़ गुना दाम की मांग कर रहे थे। उसे पूरा करने के बजाय मोदी सरकार ने आंशिक लागत यानी ए–2+एफएल के डेढ़ गुना एमएसपी की घोषणा की थी। यह कोई मामूली या बारीक अंतर नहीं था। धान के उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं।

सरकार के 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' के अनुसार 2018 में धान की आंशिक लागत (ए–2+एफएल) थी 1,166 रूपये प्रति क्विंटल। लेकिन अगर जमीन का किराया और पूंजी निवेश की कीमत जोड़कर संपूर्ण लागत (सी–2) का हिसाब करें तो आयोग के अनुसार यह 1,560 रूपये प्रति क्विंटल है। यानी कि अगर संपूर्ण लागत पर डेढ़ गुना एमएसपी मिलता तो किसान को धान की फसल का 2340 रूपये प्रति क्विंटल एमएसपी मिलना चाहिए था।

लेकिन आंशिक लागत के आधार पर सरकार ने सिर्फ 1750 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया। यानी कि लागत की परिभाषा बदलने की इस हेराफेरी के चलते किसान को धान में हर क्विंटल पर 590 रूपये का घाटा हुआ। एक तो किसान के हक पर डंडी मारी, और दूसरा, यह दावा किया कि उसकी सभी मांगें मान ली गई हैं।

सरकार ने यह दावा किया कि आज तक किसी भी सरकार ने एक साल में एमएसपी में इतनी वृद्धि नहीं की थी। इस सरकार के तमाम दावों की तरह यह दावा भी झूठा निकला। सच यह है कि चुनाव से पहले वाले साल में एमएसपी को बढ़ाकर किसान हितैषी दिखने के इस प्रयास में कोई नई बात नहीं थी। अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो सन 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा की गई बढ़ोत्तरी हर फसल में मोदी सरकार की 2018 की बढ़ोत्तरी से ज्यादा थी।

मोदी सरकार ने इस साल धान का एमएसपी 1550 रूपए से बढ़ाकर 1750 रूपए कर दिया, यानी एक साल में 13 फीसदी बढ़ोत्तरी की। उधर मनमोहन सिंह सरकार ने 2008–09 में धान का एमएसपी 645 रूपए से बढ़ाकर 1000 रूपए किया था, यानी 65 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी। इसी तरह बाजरा में 2018 में 37 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की घोषणा हुई है, लेकिन 2008 में 71 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी।

ज्वार में इस बार 43 प्रतिशत तो पिछली सरकार में 71 प्रतिशत, मक्का में इस बार 19 प्रतिशत तो पिछली सरकार में 74 प्रतिशत, अरहर में इस बार 4 प्रतिशत तो पहले 62 प्रतिशत, उड़द में इस बार 4 प्रतिशत तो पहले 81 प्रतिशत, सोयाबीन में इस बार 11 प्रतिशत तो पहले 76 प्रतिशत और कपास में इस बार 26 प्रतिशत तो दस साल पहले 68 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई थी। यानी कि एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि का दावा सरासर झूठ है।

2.5 प्रधानमंत्री 'आशा' के बदले मिली निराशा

सच तो यह है कि किसान को मोदी सरकार द्वारा घोषित यह आधा–अधूरा एमएसपी मिलने की भी कोई गारंटी नहीं है। सरकार खरीफ के मौसम में 14 फसलों का एमएसपी घोषित करती है। लेकिन अकसर सरकार खरीद सिर्फ धान की करती है।

अगर किसानों का ज्यादा दबाव पड़े तो थोड़ा–बहुत बाजरा और कपास की खरीद भी कर लेती है। सच यह है कि देश के अधिकांश इलाकों में एमएसपी तो सिर्फ एक कागजी घोषणा है। सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं की है कि अगर बाजार भाव एमएसपी से नीचे जाए तो सरकार किसान की फसल की खरीद करेगी।

इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करते हुए सरकार ने सितंबर 2018 में सरकारी खरीद की नई नीति की घोषणा की। प्रधानमंत्री प्रचार और नामकरण के उस्ताद हैं। इस नीति को भी नाम दिया 'प्रधानमंत्री आशा' (प्रधानमंत्री अन्नदाता आम सुरक्षा अभियान)। लेकिन गौर से देखेंगे तो इस 'आशा' में केवल निराशा ही थी।

याद रहे कि सरकारी खरीद की नई नीति बनाने का एलान फरवरी 2018 के बजट भाषण में किया गया था। उसके बाद रबी की फसलें बिक गई और सितंबर 2018 में जब खरीफ की

फसलें बाजार में आनी शुरू हुई तब जाकर सरकार ने खरीद की नई नीति का एलान किया। सात महीने भी लिये और कुछ हासिल भी नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री आशा योजना के अनुसार अब सरकारी खरीद तीन में से किसी एक तरीके से होगी। पहला तो पुराना सरकारी खरीद का तरीका है। इस योजना के तहत सरकार राशन की दुकान में बांटने के लिए अनाज खरीदती है। या फिर मूल्य समर्थन योजना के तहत जहां भी किसी फसल का बाजार–भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाता है तो सरकार उस फसल की खरीद शुरू करती है। यानी कि सात महीने सोचने के बाद सरकार ने तय किया कि हमेशा की तरह इस साल भी मुख्यतः यही पुराना तरीका इस्तेमाल किया जाएगा।

बदलाव सिर्फ यह है कि सरकार ने अपने बजट में किए मजाक का सुधार करते हुए इस खरीद के लिए सिर्फ 200 करोड़ रूपए के बजाय अब लगभग 16,000 करोड़ रूपए देने का फैसला किया है। साथ में यह घोषणा भी की है कि सरकारी खरीद करने वाली एजेंसियां अब बैंकों से 45,000 करोड़ रूपए का लोन उठा सकेंगी। लेकिन इसमें सरकार ने सिर्फ गारंटी दी है, अपनी जेब से कुछ नहीं डाला है।

वास्तव में यह राशि भी ऊंट के मुंह में जीरा है, क्योंकि अगर सरकार सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के बारे में गंभीर थी तो उसे कम से कम डेढ़ से दो लाख करोड़ रूपए का इंतजाम करना चाहिए था। पहले की तरह इस बार भी केंद्र सरकार किसी भी फसल के कुल उत्पादन का सिर्फ 25 फीसदी खरीदने में ही राज्य सरकार का सहयोग करेगी। बाकी 75 फीसदी खरीदना राज्य सरकार का सरदर्द बना रहेगा। जाहिर है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। न राज्य सरकारों के पास पैसा होगा न किसान की फसल की पूरी खरीद की जाएगी।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने प्रयोग के तौर पर दो अलग तरीकों की भी घोषणा की। लेकिन इन दोनों से किसान को फायदा नहीं होगा। पहली तो मध्यप्रदेश की बुरी तरह फेल हो चुकी भावांतर योजना है। योजना यह थी कि किसान बाजार–भाव पर फसल बेचे, और अगर बाजार–भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो तो उस अंतर की भरपाई सरकार करेगी।

लेकिन भावांतर योजना में किसान को स्वयं मिले दाम के बजाय उसकी मंडी और आस–पड़ोस की मंडियों के औसत दाम और न्यूनतम समर्थन मूल्य में अंतर के हिसाब से भुगतान किया गया। इससे किसान को भारी नुकसान हुआ। उधर इस योजना का फायदा उठाने के लिए व्यापारियों ने रातोंरात फसलों के दाम गिरा दिए और बाद में जमकर मुनाफा कमाया। इसका सुधार किए बिना भावांतर योजना को देश–भर में लागू करने से किसानों को नुकसान तथा व्यापारियों और सटोरियों को मुनाफा होगा।

तीसरा तरीका यह बताया गया कि सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का काम व्यापारी करेंगे। खरीद, ढुलाई, भंडारण और फिर बिक्री सब उनकी जिम्मेवारी होगी। सरकार इसके बदले उन्हें 15 फीसदी तक शुल्क देगी। सवाल यह है कि अगर फसल का बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होगा, तो कोई व्यापारी उसे क्यों खरीदेगा ?

किसान आंदोलनों ने मांग की थी कि इसके बदले सरकार सिर्फ इतना नियम बना दे कि किसी भी व्यापारी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदना अपराध माना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया, लेकिन इस पर केंद्र सरकार चुप रही। इसलिए कई किसान संगठनों ने यह आशंका व्यक्त की है कि पिछले दरवाजे से सरकार फसलों की खरीद के काम का भी निजीकरण करने जा रही है।

(शेष भाग अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा)

---

* अध्यक्ष, स्वराज इंडिया

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

शोक समाचार

भारत कृभाक समाज श्री एस.पी. सिंह जी, उपाध्यक्ष, भारत कृभाक समाज के 3 फरवरी, 2019 को हुऐ दुःखद निधन पर शोक व्यक्त करता है। हम प्रार्थना करते हैं की उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति मिले तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो।